पुलिस आदेश सं0 269 /99

॥ पुलिस हस्तक नियम 651, 652 एवं 657 ॥

आरक्षी अवर निरीक्षक, प्रारंभ अवर निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक के सांस्थानिक प्रशिक्षण को पुलिस हस्तक नियम तथा गोरे समिति के अनुशंसा के आलोक में सुव्यवस्थित करने हेतु यह आदेश निर्गत किया जाता है । अनुलग्नक के रूप में उपर्युक्त तीनों सम्वर्गों का ब्लॉक सिलेबस एवं विस्तृत पाठ्यक्रम इस आदेश के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है ।

पुलिस आदेश सं0 102 के द्वारा सांस्थानिक प्रशिक्षण के पश्चात हुए परीक्षा-फल को प्रथम नियुक्ति के लिए हुई चयन परीक्षा में प्राप्त अंक के साथ जोड़कर अवर निरीक्षक एवं प्रारंभ अवर निरीक्षकों की वरीयता निर्धारित करने संबंधी आदेश पूर्व से ही निर्गत है । अत: उनकी पुनरावृति इस आदेश में नहीं की जाती है ।

सांस्थानिक परीक्षा में असफल होने के बाद पुन: परीक्षा देने संबंधी निर्देश पुलिस आदेश सं0 238/93 में निहित है । उक्त आदेश के परा-आठ में दिए गए प्रावधानों के स्थान पर इस आदेश को लागू किया जाएगा ।

बाह्य विषयों में परेड, ड्रील तथा अस्त्र से संबंधित सभी पेपर में प्रशिक्षु को पी0टी0सी0, हजारीबाग के प्रशिक्षण के दौरान ही सफल होना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार अन्त: विषयों में विधि-एक, विधि-दो, विधि-तीन, पेपर-6 विधि विज्ञान एवं पेपर-8 जो आरक्षी विज्ञान से संबंधित है, इनमें भी प्रशिक्षु को पी0टी0सी0, हजारीबाग में ही सफल होना अनिवार्य होगा । उपर्युक्त बाह्य एवं अन्त: विषय में यदि प्रशिक्षु अनुतीर्ण होते है, तो उन्हें जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जाएगा बल्कि पी0टी0सी0, हजारीबाग में ही रोककर 3 महीने के अन्दर पुन: अनुतीर्ण विषय के परीक्षा में शामिल किया जाएगा । अगर कोई प्रशिक्षु उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में दो प्रयास में सफल नहीं होते है, तो उनके परीक्षयमान अवधि को समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी ।

अन्य सभी बाह्य एवं अन्त: विषय में अनुतीर्ण होने पर प्रशिक्षु को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जिला में भेजा जाएगा, परन्तु दो वर्ष के अन्दर निर्धारित समय पर उन्हें पुन: परीक्षा देने के लिए पी0टी0सी0, हजारीबाग आना होगा । इन विषयों में उन्हें तीन प्रयास मिलेंगे और इसके बाद भी अगर वे अनुतीर्ण रहते हैं, तो उनकी परीक्षयमान अवधि की समाप्ति के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

॥ के0 ए0 जैकब ॥
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 14413 /प्रशि०
1-49-99

आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 27.10./99.

प्रतिलिपि:- सभी आरक्षी महानिदेशक/अपर आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक/
प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक/आरक्षी अधीक्षक
एवं समादेष्टा को सूचनार्थ ।

2. आरक्षी उप-महानिरीक्षक(प्रशिक्षण)-सह-प्राचार्य, पी०टी०सी०, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

3. आरक्षी अधीक्षक, एस०पी०टी०सी०, पदमा/आरक्षी अधीक्षक, सी०टी०एस०, नाथनगर/प्राचार्य, टी०टी०एस०, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रि

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना ।